फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2023-24

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
4059 01 051 19 00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-19-संभागीय परिवहन कार्यालय कानपुर में भूमि क्रय एवं भवन निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य।	203.75	186.40	186.40	186.40	17.35
5055 800 89 8901 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना के संचालन हेतु निर्भया फण्ड से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश- 42-अन्य व्यय।	616.00	616.00	458.83	385.11	230.89
योग-	**819.75**	**802.40**	**645.23**	**571.51**	**248.24**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (पूंजीगत पक्ष) अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4059 01 051 15 00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-15-संभागीय परिवहन कार्यालय आजमगढ़ में भवन निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य।	196.25	267.76	71.51	71.51	267.76
4059 01 051 20 00 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-					

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

051-निर्माण-20-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों में सारथी हॉल सहित भवन निर्माण। 24-वृहत निर्माण कार्य।	400.00	973.72	573.72	500.00	900.00
योग -	**596.25**	**1241.48**	**645.23**	**571.51**	**1167.76**

(1) बचत के कारण निम्नानुसार है :-

क-संभागीय परिवहन कार्यालय, कानपुर में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित/शासन द्वारा स्वीकृत लागत रू 526.16 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 के मूल बजट में प्रावधानित धनराशि से रू 200.00 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही पुनर्विनियोजित की गयी धनराशि से रू 308.81 लाख अर्थात कुल धनराशि रू 508.81 लाख को अवमुक्त/भुगतान/उपभोग किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रू 203.75 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है, प्रश्नगत निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0 17.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 द्वारा निर्गत कर दी गयी है। इस प्रकार बजट में प्रावधानित धनराशि रू0 203.75 लाख में से रू0 186.40 की बचत उपलब्ध होने के कारण।

ख- व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना निर्भया फण्ड के माध्यम से केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 मे राज्यांश के रूप में रू 616.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। योजना के क्रियान्वयन में कन्सलटेन्ट का चयन/भुगतान तथा प्रदेश मुख्यालय में नियंत्रक कक्ष की स्थापना की जा चुकी है। इन कार्यो पर होने वाले व्यय का वहन केन्द्रांश के रूप में प्राप्त धनराशि रू 419.20 लाख से शासन से प्राप्त अनुमति के क्रम में किया जा रहा है। वर्तमान में योजना पूर्ण रूप से गतिमान न हो पाने के कारण राज्यांश के रूप में प्रावधानित कुल धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जाना सम्भावित न होने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

क-संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, आजमगढ़ में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित/शासन द्वारा स्वीकृत मूल लागत रू 796.25 लाख के सापेक्ष पूर्ण धनराशि को अवमुक्त/भुगतान/उपभोग किया जा चुका है। शासनादेश दिनांक 22.08.2023 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत रू 867.76 लाख स्वीकृत होने के दृष्टिगत अतिरिक्त/अन्तर धनराशि रू 71.51 लाख की आवश्यकता होने के कारण।

ख- सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित/शासन द्वारा स्वीकृत लागत रू 991.19 लाख के सापेक्ष पूर्ण धनराशि को अवमुक्त/भुगतान/उपभोग किया जा चुका है। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यदायी सस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूर्ण कराते हुये केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत नोटिफिकेशन सं0 22/2021, दिनांक 31.12.2021 द्वारा जी0एस0टी0 की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गयी है। जी0एस0टी0 की वृद्धि दर दिनांक 01.01.2022 से लागू हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 दर में 6 प्रतिशत वृद्धि के फलस्वरूप प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु रू 38.02 लाख की मांग किये जाने के कारण।

सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, पीलीभीत में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित/शासन द्वारा स्वीकृत लागत रू 1094.22 लाख के सापेक्ष रू 503.81 लाख की धनराशि को अवमुक्त/भुगतान/उपभोग किया जा चुका है। नियमानुसार निर्माण कार्य की लागत रू 10.00 करोड़ से अधिक होने के कारण प्रश्नगत निर्माण कार्य की स्वीकृत लागत रू 1094.22 लाख से 5 प्रतिशत की धनराशि रू 54.71 लाख को परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त किया जायेगा। इस प्रकार निर्माणाधीन कार्यालय हेतु वर्तमान में (रू 1094.22 लाख स्वीकृत लागत-503.81 लाख अवमुक्त-54.71 लाख 5 प्रतिशत) रू 535.70 लाख की आवश्यकता होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

आर.ई.संख्या –बजट-1-311, दिनाँक 12 जनवरी, 2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव,
परिवहन विभाग।

संख्या-08 /2024/3567/तीस-3-2023 दिनॉक 16 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।